रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33001/99

REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 3, 2002/श्रावण 12, 1924

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 3, 2002/SRAVANA 12, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2002

सा. का. नि. 290.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, सवार हरकारा समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, सवार हरकारा भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग, सवार हरकारा समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में,

(क) स्तंभ 8 के अधीन, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

''और दिल्ली/नई दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों से सुपरिचित हो''

*(ख) * * * * * *

(ग) स्तंभ 13 के अधीन,—

(i) मद (ii) में, ''योजना'' शब्द के स्थान पर, ''नीति'' शब्द रखा जाएगा, और

(ii) मद (iii) में, ''स्थापना'' शब्द के स्थान पर, ''परीक्षा'' शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 39021/25/99-स्थापना (बी)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

पाद टिप्पण :—मूल नियम, सं. सा.का.नि. 505, तारीख 15 सितम्बर, 2001 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

*नोट :—हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not Applicable	**Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—** (1) Deputy Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation —Chairman (2) Senior Administrative Officer, National Atlas & Thematic Mapping Organisation —Member (3) Administrative Officer, National Atlas & Thematic Mapping Organisation —Member	Not Necessary.

[File No. SM/02/044/1999]

S. CHAKRAVARTHY, Under Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Number GSR 364 dated 30-4-1988.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 296.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है; अर्थात् :—

1. इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2002 कहा जाएगा।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के खण्ड (ख) के पैराग्राफ-1 के उप-पैराग्राफ (3) में मद XCX के बाद निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी:—

"(CI) निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठान—

(i) कुरियर सेवाएं;

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन एयर क्राफट्स अथवा एयर लाइन्स के अलावा अन्य एयर क्राफट्स अथवा एयर लाइन्स तथा,

(iii) भारत के राजपत्र दिनांक 07 अप्रैल, 2001 के भाग-II के खण्ड -3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 746 दिनांक 22-03-2001 में उल्लिखित सफाई एवं झाड़ू-बुहारू सेवाएं।

[फा. संख्या एस-35016/1/1997-सा.सु.-II]

के. सी. जैन, निदेशक

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd July, 2002

G.S.R. 296.—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with Sub-section (1) of Section 7 of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provision, Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees Provident Fund Scheme, 1952 namely :—

1. This Scheme may be called the Employees Provident Fund (Amendment) Scheme, 2002.

Attested

21/11/12

2. In the Employees Provident Fund Scheme, 1952, in clause (b) of Sub-paragraph (3) of Paragraph 1 after item XCX the following item shall be inserted :

"(CI) as respects the establishments engaged in rendering

(i) courier services;

(ii) aircraft or airlines other than the aircrafts or airlines owned or controlled by the Central or State Government, and

(iii) cleaning and sweeping services, specified in the notification of Govt. of India in the Ministry of Labour No. S.O. 746 dated 22-3-2001 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated 7th April, 2001; come into force with effect from 1st April, 2001,"

[F. No. S-35016/1/1997-SS. II]

K. C. JAIN, Director

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 297.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; और

1. प्रशिक्षण निदेशालय, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उससे सहबद्ध माडल प्रशिक्षण संस्थान, प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय और उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

2. प्रशिक्षण निदेशालय, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उससे सहबद्ध माडल प्रशिक्षण संस्थान और इलेक्ट्रानिक एवं प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

3. प्रशिक्षण निदेशालय, (फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान बैंगलोर की इकाई) वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

4. प्रशिक्षण निदेशालय, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उससे सहबद्ध माडल प्रशिक्षण संस्थान और प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, बम्बई वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

5. प्रशिक्षण निदेशालय, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उससे सहबद्ध माडल प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

6. प्रशिक्षण निदेशालय, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उससे सहबद्ध माडल प्रशिक्षण संस्थान और प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

7. प्रशिक्षण निदेशालय, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और उससे सहबद्ध माडल प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान और प्रादेशिक प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता वर्ग IV पद भर्ती नियम, 1975;

8. प्रशिक्षण निदेशालय, इलैक्ट्रानिक और प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1984; और

9. प्रशिक्षण निदेशालय, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर की इकाई समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1984 को इस अधिक्रमण से पहले की गई या छूट गई कार्रवाई के अतिरिक्त अधिक्रांत करते हुए रोजगार और प्रशिक्षण महा निदेशालय के अधीन प्रशिक्षण निदेशालय में समूह 'घ'पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम न करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** (1)—इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण निदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2002 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

Attested
द्वितीय अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
21/11/12